सं. 4-2(12)/2020-डीडी-I (19233)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3

दिनांक: 02.04.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात 01.04.2022 से 31.03.2026 तक सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना) में संशोधन –के संबंध में।

महोदय,

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.04.2022 (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न है) की निरंतरता में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 01.04.2022 से अब तक की अवधि में किए गए विभिन्न संशोधनों को शामिल करने के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना) के दिशानिर्देश में कुछ संशोधन करने की इच्छा जताई है। इसके अलावा, योजना को समावेशी और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। इस संशोधित केन्द्रीय क्षेत्रक योजना में निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित तंत्र शामिल है तथा सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।

2. तदनुसार, संशोधित योजना की प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है, सभी संबंधितों के सूचनार्थ और उपयुक्त कार्रवाई हेतु संलग्न है। संशोधित योजना की प्रति विभाग की वेबसाइट www.depwd.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :- यथोपरि।

SANDEEP KUMAR
Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2024.04.02 12:00:56 +05'30'

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल आईडी:- adipsection -depwd@nic.in

दूरभाष संख्या. :- 011 2436 9027

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव।
2. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां (एलिम्को/एनआई/सीआरसी/डीडीआरसी/डीडीआरएस/वीओ/एनजीओ आदि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय मंत्री एसजे एंड ई के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्री पीबी के निजी सचिव / माननीय राज्य मंत्री आरए के निजी सचिव / माननीय राज्य मंत्री एएन के निजी सचिव।
3. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (आरवाई) के निजी सचिव / संयुक्त सचिव (आरएस) के निजी सचिव / उप महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।
5. विभाग के सभी निदेशक/उप सचिव के निजी सहायक।

IMMEDIATE

No. 4-2(12)/2020-DD-I
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
5th floor, Antyodaya Bhavan, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110 003
Dated 04.04.2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Continuation of the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances (ADIP)- during the period of Fifteenth finance Commission i.e from 01.04.2022 to 31.03.2026- regarding.

The undersigned is directed to say that the Central Sector Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids/ Appliances (ADIP Scheme) being implemented by this Department is in operation since 1981. The main objective of the Scheme is to assist the needy disabled persons in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances that can promote their physical, social and psychological rehabilitation by reducing the effect of disabilities and enhance their economic potential. Under the Scheme, aids and assistive devices are given to Persons with Disabilities (PwDs) with an aim to improve their independent functioning and to arrest the extent of disability and occurrence of secondary disability. The Scheme was last revised w.e.f. 01.04.2017.

2. In terms of the instructions received from the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide O.M. No. 01(01)/PFC-I/2022 dated 01.02.2022, the Competent Authority has approved (i) continuation of ADIP Scheme during the period of Fifteenth Finance Commission i.e. from 01.04.2022 to 31.03.2026 and (ii) certain modifications to the Scheme.

3. A copy of the revised Scheme is enclosed for information and appropriate action by all concerned. Copy of the revised scheme is also available on the website of the Department(www.disabilityaffairs.gov.in)

Encl: As above

(S.K. Mahto)
Under Secretary to the Government of India
Tel:011-24362127

1. All Pricipal Secreatries/Secretaries
Social Welfare/Social Justice Department in States/UTs-By Name
- Wide publicity of the Scheme may be given in the State/UTs

---2

(सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना)

(01 अप्रैल, 2024 से लागू)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003

(सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

1.0 परिचय

उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों का प्रावधान दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रक्रिया में पहला कदम है। सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जो उनके समग्र पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार देश में 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं। इसके अलावा, 14 वर्ष से कम उम्र के बड़ी संख्या में बच्चे विलंबित विकास से पीड़ित हैं। उनमें से कई बौद्धिक दिव्यांगता और प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित हैं और उन्हें आत्म-देखभाल और स्वतंत्र जीवन की क्षमता प्राप्त करने के लिए सहायक यंत्र/उपकरणों की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ, अनके उपकरण सामने आए हैं जो दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर सकते हैं और दिव्यांगों की समग्र क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, दिव्यांगजनों का एक बड़ा हिस्सा निम्न आय वर्ग से है और इन उपकरणों के लाभों से वंचित हैं क्योंकि वे इन्हें हासिल करने के लिए धन जुटाने और परिणामस्वरूप एक सम्मानजनक जीवन में असमर्थ हैं ।

1.01. दिव्यांगजनों को समर्थ और सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिस अवधि के दौरान इन मौद्रिक सीमाओं में संशोधन नहीं किया गया है, उस अवधि के दौरान लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सहायता की मात्रा, लागत, सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों की अधिकतम सीमा और पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर संशोधित रूप में योजना को जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की कवरेज और अधिक प्रयोक्ता अनुकूलन के संदर्भ में संशोधित योजना तैयार की गयी है।

2.0 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक उपकरण प्रदान करना है, जिससे दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सके और उनकी शैक्षिक और आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जा सके। योजना के तहत आपूर्ति किए गए सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के लिए उचित प्रमाणन होना चाहिए।

3.0 परिभाषाएँ

"दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016" और "राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999" में दी गई विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की परिभाषाएँ।

4.0 <u>कार्य-क्षेत्र</u>

यह योजना पैरा 5.0 में सूचीबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी। एजेंसियों को ऐसे मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जो योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंग के बाद की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगी। वे दिव्यांगजनों को ऐसे सहायक उपकरणों के वितरण का व्यापक प्रचार करेंगे। वितरण शिविर से पहले जिला कलेक्टर, बीडीओ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को शिविर की तिथि और स्थान के बारे में सूचित करेंगे। शिविरों के बाद, वे लाभार्थियों की सूची और योजना के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर सहायक उपकरणों के विवरण अपलोड करेंगे। लाभार्थियों की सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ।

4.01 इस योजना में निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सहायक यंत्रों और उपकरणों के फिटमेंट से पहले आवश्यक सर्जिकल सुधार और हस्तक्षेप भी शामिल होगा:

(i) वाक् और श्रवण बाधित के लिए 1500 /- रूपये
(ii) दृष्टिबाधितों के लिए 3,000 /- रूपये
(iii) अस्थि रोग के लिए 15,000 /- रूपये

5.0 योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों की पात्रता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से इस योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र हैं, बशर्ते कि वे निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पूरा करते हों:

i. सोसायटी और उनकी शाखाएं, यदि कोई हों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अलग से पंजीकृत हैं।

ii. पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट।

iii. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटियां और अन्य स्वायत्त निकाय।

iv. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान, सीआरसी, आरसी, डीडीआरसी, राष्ट्रीय न्यास, एलिम्को।

v. राष्ट्रीय/राज्य दिव्यांग विकास निगम।

vi. स्थानीय निकाय – जिला परिषद, नगर पालिकाएं, जिला स्वायत्त विकास परिषदें और पंचायत आदि।

vii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा यथा संस्तुत पृथक निकायों के रूप में पंजीकृत अस्पताल।

viii. नेहरू युवा केंद्र।

ix. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य संगठन।

5.01 योजना के तहत वाणिज्यिक उत्पादन या सहायक यंत्रों/उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहायता अनुदान नहीं दिया जाएगा।

5.02 नई कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित करते समय, उन एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी:

(i) जो व्यावसायिक रूप से योग्य (आरसीआई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से) स्टाफ के रूप में व्यावसायिक/तकनीकी विशेषज्ञता को नियोजित करते हैं, ताकि अपेक्षित सहायक यंत्रों/उपकरणों की पहचान करने, प्रिस्क्रिप्शन सहित लाभार्थियों और सहायक यंत्रों/उपकरणों की फिटमेंट और पोस्ट-फिटमेंट देखभाल की जा सके।

(ii) जो एडिप योजना के तहत दिव्यांगजन को दिए जाने वाले सहायक यंत्रों/उपकरणों के निर्माण, फिटमेंट और रखरखाव के लिए मशीनरी/उपकरण के रूप में अवसंरचना रखें और जिनके पास आईएसआई मानकों/आईएसओ प्रमाणन के साथ सहायक उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता हो।

6.0 लाभार्थियों की पात्रता:

i. किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक।

ii. मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड या कम से कम 40% दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या।

iii. आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना के तहत विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड का नंबर या आधार कार्ड का नामांकन आईडी आवश्यक है।

iv. सभी स्रोतों से मासिक आय रु.30,000/- प्रति माह से अधिक न हो।

v. आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 30,000/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

vi. उसी उद्देश्य के लिए किसी भी स्रोत से पिछले 3 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त नहीं की हो। तथापि, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, सहायता का न्यूनतम समय एक वर्ष है।

नोट :- क): राजस्व एजेंसियों से आय प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड/मनरेगा कार्ड/दिव्यांगता पेंशन कार्ड/एमपी/एमएलए/पार्षद/ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र, जिसके न होने पर दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के मार्फत नोटरीकृत शपथ पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

(ख) अनाथालयों और हाफ-वे होम्स आदि में रहने वाले लाभार्थियों का आय प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर या संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा प्रमाणीकरण पर स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे लाभार्थियों को इस योजना के तहत केवल एलिम्को/एनआई/सीआरसी द्वारा सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

(ग). आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(घ) एडिप-एसएसए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी (क) स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के सरकारी डॉक्टर (ग) स्थानीय एसएसए प्राधिकरण और (घ) एलिम्को के प्रतिनिधियों की होगी।

(ड) 40% से कम दिव्यांगता के मामले में, सीडब्ल्यूएसएन को उपर्युक्त पैरा (घ) में वर्णित संयुक्त प्रमाणन पर आधारित सहायक यंत्र एवं उपकरण जारी किया जा सकता है।

(च). मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत टीएलएम किट के वितरण के लिए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकासात्मक विलंब प्रमाण पत्र पर विचार किया जा सकता है। तथापि, एडिप योजना में यथा निर्धारित न्यूनतम 40% दिव्यांगता की शर्त को कम नहीं किया गया है।

7.0 सहायता प्रमात्रा

(i) 15,000/- रुपये तक की लागत वाले सहायक यंत्रों/उपकरणों के लिए।

- योजना के तहत पूर्ण वित्तीय सहायता।

(ii) 15,001/- रुपये से 30000/- रुपये के बीच की लागत वाले सहायक यंत्रों/उपकरणों के लिए

- रु. 15000/- तक की वित्तीय सहायता

नोट :– बहु दिव्यांगता के मामले में, यदि एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता है तो अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग सीमा लागू होगी ।

(iii) इसके अलावा, कॉक्लियर इंप्लांट और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल को छोड़कर, 30,001 रुपये से अधिक की लागत वाली सभी महंगी वस्तुएं, जो इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, आय सीमा के अधीन सूचीबद्ध की जाएंगी। समिति द्वारा सूचीबद्ध इन वस्तुओं की लागत का 50% भारत सरकार वहन करेगी और शेष का योगदान राज्य सरकार या एनजीओ या किसी अन्य एजेंसी या संबंधित लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, जो मामले दर मामले के आधार पर मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के अधीन होगा जो योजना के तहत बजट के 20% तक सीमित होगा ।

नोट :- सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मदों का निर्णय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाएगा।

(iv). कॉक्लियर इम्प्लांट

बोलने से पूर्व श्रवण ह्रास वाले 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए 7.00 लाख रुपये प्रति यूनिट (सरकार द्वारा वहन किया जाना है) की सीमा वाला और 5 से 18 वर्ष के बीच श्रवण ह्रास प्राप्त बच्चों के मामले में 6.00 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा वाला कॉक्लियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी और

पुनर्वास करना। दोनों मामलों में वित्तीय सहायता में प्रत्यारोपण, सर्जरी, चिकित्सा, मानचित्रण, यात्रा और पूर्व-प्रत्यारोपण मूल्यांकन की लागत को सम्मिलित होगी।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए नोडल एजेंसी होगी। दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों में सर्जरी की जाएगी। कोर कमेटी द्वारा संस्तुत विनिर्देश के अनुसार भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा कॉक्लियर इम्प्लांट उपकरण की खरीद की जाएगी।

7.01 सहायता की राशि इस प्रकार होगी:-

कुल आय	**सहायता की राशि**
(i). रु. 22,500/- तक प्रति माह (ii) रु.22,501/- से रु. 30,000/- प्रति माह	(i) सहायता/उपकरण की पूरी लागत (ii) सहायक यंत्र/उपकरण की लागत का 50%

7.02 रेल किराया या बस किराए के संदर्भ में यात्रा लागत दिव्यांगजनों और एक एस्कॉर्ट किराए के लिए अलग से स्वीकार्य होगी, जो प्रति व्यक्ति 250 रुपये तक की सीमा के अधीन होगी, चाहे उस केंद्र में तथा सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के लिए वितरण शिविर में भाग लेने के लिए कई बार आना पड़े। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को, जब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक, उस क्षेत्र से बाहर पुनर्वास केंद्र तक यात्रा करने के लिए यात्रा भत्ता दिया जा सकता है। बाकि सभी लाभार्थियों को अपने निवास स्थान के नजदीकी पुनर्वास केंद्र में जाना चाहिए ।

7.03 इसके अलावा, 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रति दिन 100/- रुपये की दर से भोजन और आवास व्यय केवल उन रोगियों के लिए स्वीकार्य होगा, जिनकी कुल आय 22,500/- रुपये प्रति माह तक है और इसी प्रकार उनके परिचारक/एस्कॉर्ट को स्वीकार्य होगा । भोजन और आवास व्यय निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य होंगे:-

i. सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए शिविर में भाग लेने के लिए।

ii. गतिविषयक दिव्यांगता वाले व्यक्ति:

क. सुधारात्मक/पुनर्निर्माण सर्जरी

ख. कृत्रिम अंग/कैलिपर लगाने के लिए उस स्थान पर ठहरने की आवश्यकता वाले मामले में ।

iii. श्रवण दिव्यांगता वाला व्यक्ति: ईयरमॉल फैब्रिकेशन/फिटमेंट के लिए उस स्थान पर ठहरने की आवश्यकता वाले मामले।

कार्यान्वयन एजेंसियां, जहां तक संभव हो, अस्पतालों से जुड़ी धर्मशालाओं में उपलब्ध भोजन और आवास की सुविधाओं का लाभ उठाएंगी।

8.0 <u>सहायक यंत्रों/उपकरणों के प्रकार</u>

प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता के लिए निम्नलिखित सहायक यंत्रों और उपकरणों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी अन्य मद की भी अनुमति दी जाएगी।

8.01 गतिविषयक दिव्यांगता वाले व्यक्ति

क) सभी प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक डिवाइस, चलने में सहायक उपकरण, सर्जिकल फुट वियर, एमसीआर चप्पल, एडीएल (दैनिक जीवन की गतिविधि) के लिए सभी प्रकार के उपकरण जैसा कि समय-समय पर विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित है।

ख) हाई एण्ड प्रोस्थेसिस:-

कम से कम 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए हाई एण्ड प्रोस्थेसिस (घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर, कोहनी के नीचे और कोहनी के ऊपर)। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 30,000/- रुपये होगी।

नोट :- बिना किसी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अपंग होने के मामले में भी एलिम्को/एनआई/सीआरसी के पी एंड ओ अधिकारियों की सिफारिश और यूडीआईडी कार्ड के लिए नामांकन के बाद ही इन कृत्रिम अंगों का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

ग) गंभीर गतिविषयक दिव्यांगता, स्ट्रोक, प्रमस्तिष्क घात, हेमिपेलिगिया और समान स्थितियों वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और मोटराइज्ड व्हीलचेयर, जहां या तो तीन/चार अंग या

शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से क्षीण हो । 80% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और मोटराइज्ड व्हीलचेयर के लिए सहायता के पात्र होंगे। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये होगी। यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पांच वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा । मानसिक रूप से दिव्यांग 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना / शारीरिक क्षति का खतरा है। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के वितरण के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी के भीतर, वर्ष विशिष्ट सीमा का निर्णय एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें डीईपीडब्ल्यूडी, एलिम्को और यदि आवश्यक हो, तो अन्य संबंधित एजेंसियों का प्रतिनिधित्व होगा ।

8.02 दृष्टि बाधित दिव्यांगजन, जिसमें बधिर-अंधता और अन्य दिव्यांगताएं शामिल है।

क. दृष्टिबाधित छात्रों को पांच साल में एक बार सुगम्य मोबाइल फोन और स्कूल जाने वाले दिव्यांग छात्रों (कक्षा 10 वीं और उससे ऊपर) को 10 वर्षों में एक बार लैपटॉप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलियर। हालाँकि, योजना के तहत वित्तीय सहायता की सीमा **पैरा-7.0** में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी ।

ख. सीखने के उपकरण |

ग. संचार उपकरण |

घ. कम दृष्टि सहायक उपकरण |

ड. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या सेरेब्रल पाल्सी के साथ दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए विशेष गतिशीलता उपकरण जैसे अनुकूलित वॉकर।

च. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर अनुशंसित कोई भी उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण।

8.03 श्रवण बाधित दिव्यांगजन

क. बीटीई आदि सहित विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र।

ख. शैक्षिक किट

ग. सहायक और अलार्म उपकरण.

घ. समय-समय पर विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित कोई भी उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण ।

8.04 बौद्धिक और विकास संबंधी दिव्यांगता वाले व्यक्ति

क. शिक्षण और शिक्षण सामग्री (टीएलएम) किट।

ख. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर अनुशंसित कोई उपयुक्त उपकरण/किट/शिक्षण सामग्री।

8.05 बहु दिव्यांगता

विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर अनुशंसित कोई भी उपयुक्त उपकरण।

8.06 कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति

i. कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों के लिए सहायक दैनिक जीवन किट (एडीएल)।

ii. विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर सलाह के अनुसार कोई उपयुक्त उपकरण।

8.07 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में नई दिव्यांगताएँ जोड़ी गईं

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में जोड़ी गई नई दिव्यांगताओं के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट कोई भी उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण ।

8.08 सहायक यंत्रों/उपकरणों का आवधिक पुनरीक्षण

सहायक उपकरणों की सूची को विभाग में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर, व्यय वित्त समिति/आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी के बिना, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। विभाग योजना के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसरण में आगे और दिशानिर्देश भी जारी कर सकता है।

9.0 प्रशासनिक व्यय

योजना के तहत बजट का 1% इस योजना के संबंध में जानकारी, शिक्षा प्रदान करने और संचार करने और इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सलाहकारों/तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने और मोबाइल ऐप, एमआईएस पोर्टल की तैयारी और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में शामिल व्यय को करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

10.0. लाभार्थियों की पहचान/ सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण:-

क. **शिविर गतिविधि के माध्यम से:-** कार्यान्वयन एजेंसियां जिला स्तर पर शिविर मोड में लाभार्थियों का मूल्यांकन करने के बाद वितरण शिविर लगाएंगी। कार्यान्वयन एजेंसियों को दुर्गम और गैर-सेवित क्षेत्रों

के कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उभरती आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर शिविर भी आयोजित किये जायेंगे।

ख. **मुख्यालय गतिविधि के माध्यम से:-** राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को/डीडीआरसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां अपने मुख्यालय या अपने संबंधित समेकित क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क करने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुदान का उपयोग करेंगी। कुछ सुस्थापित एनजीओ, जिनके केंद्र/उप-केंद्र ओपीडी गतिविधियां संचालित करते हैं और दिव्यांगजनों के लिए सुधारात्मक सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, उनके मुख्यालय की गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता हेतु भी विचार किया जा सकता है।

ग. **मोबाइल ऐप के माध्यम से:-** लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जो लाभार्थियों को (नए पंजीकरण हेतु) या तो नए सहायक उपकरणों के लिए अनुरोध करने या मौजूदा उपकरणों की मरम्मत करने में (मौजूदा उपयोगकर्ता को) सक्षम करेगा। । ऐप पर प्राप्त अनुरोधों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संकलित किया जाएगा और लाभार्थी के निवास के निकटतम स्थित कार्यान्वयन एजेंसी को भेज दिया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी मूल्यांकन के समय लाभार्थी से एडिप योजना में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगी और ऐसे पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करेगी।

घ. **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)/एडिप वेब पोर्टल के माध्यम से** : यह पोर्टल दिव्यांगजनों को पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर पात्र लाभार्थियों को **सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध की सुविधा प्रदान करेगा।**

11.0 <u>कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया</u> ।

संगठन अपना आवेदन सीधे विभाग को सौंपेंगे। गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) के प्रस्ताव केवल मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

***नोट:-** योजना के तहत आवश्यक सभी प्रोफार्मा/अनुलग्नक को विभाग में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी (विधिवत स्वप्रमाणित) संलग्न होनी चाहिए:

क. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51/52 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ख. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत, और उनकी शाखाओं, यदि कोई हो, के लिए अलग से या धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम के तहत, पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ग. संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम एवं विवरण।

घ. एनजीओ/वीओ के ट्रस्टियों/सदस्यों का पैन और आधार नंबर विवरण।

ङ. संगठन के नियमों, लक्ष्यों और उद्देश्यों की एक प्रति।

च. पिछले वर्ष के प्रमाणित लेखापरीक्षित खातों और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (जो यह दर्शाती हो कि संगठन वित्तीय रूप से मजबूत है)। योजना के तहत पहली बार अनुदान सहायता चाहने वाले संगठनों के मामले में, पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

छ. योजना के तहत पहले से ही सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)/एडिप वेब पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।

ज. जीएफआर, 2017 के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र।

झ. कार्यान्वयन एजेंसियां उपलब्ध कराए गए सहायक यंत्र और उपकरणों का एक वर्ष तक निःशुल्क रखरखाव करेंगी।

ञ. यदि संगठन के नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारी 20 से अधिक हैं तो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान करेगा।

12.0 <u>सहायता अनुदान की मंजूरी/जारी करना</u>

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों और अन्य सरकारी संगठनों को छोड़कर, अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां अपने प्रस्ताव सीधे मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजेंगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र और निर्धारित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद आगामी वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

नोट:- एनजीओ/वीओ के नए मामलों में, एडिप योजना के तहत सहायता अनुदान को संसाधित करने से पहले विभाग की स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिश और भौतिक निरीक्षण आवश्यक है। हालाँकि, सरकारी संगठनों के

मामले में जैसे सीधे जिला कलेक्टर (डीएमटी) की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम, राज्य सरकार के निगमों द्वारा चलाई जाने वाली डीडीआरसी, विभाग के नियंत्रण में कार्यरत एलिम्को/एनआई/सीआरसी को स्क्रीनिंग कमेटी/भौतिक निरीक्षण की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसियों के एनजीओ/वीओ के नए मामलों में भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता ऐसे मामलों में नहीं है, जहां किसी एनजीओ/वीओ को पिछले 03 वर्षों में इस विभाग की किसी भी योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ हो।

12.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी सहायता अनुदान के उपयोग के <u>निमित्त</u> लाभार्थियों की नमूना जांच निकटतम एनआई/सीआरसी/एलिम्को या यदि आवश्यक हो तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की जाएगी। नमूना जांच में कम से कम 2% लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। एलिम्को के मामले में परीक्षण जांच निकटतम एनआई/सीआरसी द्वारा की जा सकती है और एनआई/सीआरसी के मामले में, परीक्षण जांच किसी अन्य एनआई/सीआरसी/एलिम्को द्वारा की जा सकती है।

12.2 यदि सहायता अनुदान 10 लाख रुपये से कम है तो सहायता अनुदान आम तौर पर एक किस्त में जारी की जाएगी। हालाँकि, यह सीमा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मंजूरी से आयोजित विशेष परिभाषा वाले शिविरों (स्पेशल डेफिनिशन कैंप) के लिए लागू नहीं होगी। पहली और दूसरी किस्त की प्रमात्रा विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से तय की जाएगी।

12.3 कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन, वितरण और अनुवर्ती शिविर आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान का 5% प्रशासनिक/ओवरहेड खर्च के रूप में उपयोग करेंगी। ऐसे बड़े शिविरों के लिए, जहां लाभार्थियों की संख्या 1000 और उससे अधिक है और शिविरों में कैबिनेट/राज्य मंत्री (एसजे एंड ई)/मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, योजना के तहत अतिरिक्त 5% प्रशासनिक व्यय स्वीकार्य होगा।

13.0 <u>सहायता के लिए शर्तें</u>

I. कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थियों की मासिक आय के संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी।

II. कार्यान्वयन एजेंसी सभी लाभार्थियों से संबंधित डेटा को निर्धारित प्रारूप में विभाग के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगी और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी। कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण के वितरण की तारीख से 02 दिनों के भीतर विभाग के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थियों का डेटा अपलोड करेंगी। उदाहरण के लिए:- यदि वितरण की तारीख महीने का पहला दिन है, तो डेटा उस महीने की 3 तारीख की आधी रात तक अपलोड हो जाना

चाहिए । डेटा अपलोडिंग के नियम के अनुपालन में विफल रहने पर विभाग द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

III. कार्यान्वयन एजेंसियां एडिप परियोजना के लिए अलग बही-खाते बनाएगी। कार्यान्वयन एजेंसियां विभाग द्वारा अधिकृत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के मुख्य खाते के तहत या समय -समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 0 (शून्य) बैलेंस सहायक खाता (एसए) खोलेंगी।

IV. एक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लेखे बिल और वाउचर के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित खातो के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे ।

V. कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थी से एक शपथ पत्र लेगी कि उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य एजेंसी/स्रोत से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की है और वह इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखेगा। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में यह समय सीमा 1 वर्ष है।

VI. कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन/एनआई/सीआरसी आदि द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/तीसरे पक्ष के द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

VII. जब भारत सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि मंजूरी का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो यह राशि कार्यान्वयन एजेंसी से ब्याज के साथ वसूल की जाएगी और एजेंसी को कोई और सहायता नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ऐसे संगठन को ब्लैक लिस्ट में डालने और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

VIII. जब तक कार्यान्वयन एजेंसियों को धन स्वीकृत नहीं किया गया हो, तब तक कार्यान्वयन एजेंसियां योजना के तहत कोई दायित्व वहन नहीं करेंगी, सिवाय उस कार्यान्वयन एजेंसी के मामले में, जिसने उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पूर्व अनुमोदन से उस एजेंसी द्वारा लिए गए ऋण के बदले, अनुमोदित सहायक यंत्र और उपकरण (योजना के तहत मानदंडों/लागत सीमा के अनुसार) वितरित किए हैं। विभाग उक्त ऋण राशि पर ब्याज का भार नहीं उठाएगा।

IX. सरकारी मानदंडों के अनुसार योजना के तहत एससी/एसटी/ओबीसी लाभार्थियों के लिए आरक्षण होगा और कुल लाभार्थियों में से कम से कम 25% बालिकाएं/महिलाएं होनी चाहिए।

नोट 1:- एससी/एसटी लाभार्थियों सहित पूरे भारत के लाभार्थी, शिविर चाहे किसी भी स्थान पर हो, शिविरों में एडिप योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।

नोट 2 :- कृत्रिम अंग वितरण के क्षेत्र में प्रमुख रूप से काम करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां जहां तक संभव हो 25% महिला लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगी।

x. सभी शिविरों में इस योजना और इसके तहत प्राप्त सहायता का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजित शिविरों की तस्वीरें कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी।

xi. संस्था जिलों में इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के बैनर तले निर्धारित तरीके से व्यापक प्रचार करते हुए और जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद और विधायक को अपेक्षित जानकारी देने के बाद लागू करेगी।

xii. जिला प्रशासन/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के प्रतिनिधियों का शिविरों से जुड़ना आवश्यक है ।

xiii. प्रमुख नागरिकों, जैसे पंचायती राज संस्थानों/नगर पालिकाओं/जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम/स्थानीय बीडीओ को शिविर में आमंत्रित किया जा सकता है।

xiv. शिविरों में स्थानीय मीडिया कर्मियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित शिविरों के बारे में स्थानीय मीडिया में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

xv. जारी किए गए प्रमाण पत्र का विस्तृत अभिलेख , शिविर से जुड़े व्यक्तियों, लाभार्थियों के फोटो के साथ नाम और पते संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुरक्षित रखा जाना चाहिए। फोटो में लाभार्थी को उसके द्वारा प्राप्त सहायक यंत्र और उपकरण के साथ दिखाया जाना चाहिए।

xvi. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रमुखता से अपने कार्यालयों और शिविरों में साइनबोर्ड, बैनर आदि के माध्यम से दिखाना चाहिए कि यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से चल रही है। मंत्रालय का नाम व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल आदि के पीछे भी चित्रित किया जाएगा।

xvii. इस सहायता अनुदान के साथ सहायक यंत्रो और उपकरणों के वितरण के लिए आयोजित किए गए शिविर/समारोह के फोटोग्राफ और वितरण कार्य शुरू करने के लिए शिविरों के आयोजन के संबंध में प्रेस-क्लिपिंग, पोस्टर, पर्चें आदि भी एडिप योजना के तहत अनुदान जारी करने के प्रस्ताव के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

xviii. जहां लागू हो, अनुदान जारी होने से पहले, कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यकारी समिति के सदस्य एक निर्धारित प्रारूप में बांड निष्पादित करेंगे जिसमे वे स्वयं संयुक्त रूप से और पृथक रूप से निम्नलिखित के लिए बाध्य होंगे :-

(क) लक्ष्य तिथियों तक उसमे निर्दिष्ट सहायता अनुदान की शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करेंगे ; और
ख) ना तो अनुदान को डायवर्ट करेंगे ना ही योजना या किसी अन्य संस्थानो या संगठनो जो सम्बंधित काम का निष्पादन सौपंगे; और
(ग) सहायता अनुदान को विनियमित करने वाले समझौते में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेंगे ।

xix. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बांड की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, बांड पर हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, अनुदान की पूरी या उसके किसी अंश राशी पर या बांड के तहत निर्दिष्ट राशि पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ भारत के राष्ट्रपति को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस बांड के लिए स्टांप शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

xx. जीएफआर, 2017 के नियम 238(6) के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने चाहिए।

xxi. संगठन को जीएफआर, 2017 के नियम 230 के प्रावधान के संदर्भ में सीएनए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ई-भुगतान/आरटीजीएस के माध्यम से सभी संवितरण/भुगतान करना होगा।

xxii. जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, इस सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को भारत कोष में जमा या भारत के समेकित निधि में जमा करने के लिए विभाग को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

xxiii. स्वीकृत अनुदान सहायता से सभी खरीद जीएफआर-2017 के प्रावधानों का पालन करते हुए की जाएगी।

xxiv. कार्यान्वयन एजेंसियां वितरण की तारीख से लाभार्थियों के सभी रिकॉर्ड निम्नानुसार बनाए रखेंगी:-

(क) सभी अभिलेखों की भौतिक रूप में अवधारण अवधि 02 वर्ष होगी।
(ख) सभी अभिलेखों की अवधारण अवधि डिजिटल रूप में 05 वर्ष होगी।
(ग) वितरण की तारीख से 05 वर्ष से अधिक पुराने लाभार्थियों के रिकॉर्ड को हटाया जा सकता है।

14. <u>विविध</u>

15वें वित्तीय आयोग की चक्रीय अवधि के बाद कोई प्रतिबद्ध देयता नहीं सृजित की जाएगी ।

*****